यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी के माह 07.2013 से 04.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त.) द्वारा दिनांक 05.05.2018 से 17.05.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। आदेश संख्या 34/xxvii(7)/2012 के द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकार प्रदान किया गया इसी क्रम मे दिनाक 26.06.2013 से निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी को आहरण एवं वितरण अधिकार के दायित्वों का निर्वाहन किया गया है।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रखण्ड मे वर्तमान मे राज्य के विभिन्न 13 जनपदो मे 176 संस्थान स्वीकृत है एवं वर्तमान मे 149 संस्थान संचालित है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पैटर्न पर कुल क्रमश 25 एवं 30 विभिन्न इंजीनियरिंग एवं नान इंजीनियरिंग व्यवसायो मे अभ्यथियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार सेवायोजन प्रखण्ड के अंतर्गत राज्य के विभिन्न 13 जनपदो मे 41 सेवायोजन कार्यालय संचालित है। जिसके अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवको का पंजीकरण किया जाना एवं रोजगार मेलो के माध्यम से अभ्यथियों को सेवायोजन प्रदान किया जाता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
		स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
1	2015-16	शून्य	शून्य	257.75	205.70	57.71	40.48	-	69.28
2	2016-17	शून्य	शून्य	341.48	214.62	56.39	41.68	-	141.57
3	2017-18	शून्य	शून्य	320.07	304.38	51.51	38.80	-	28.04

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). राज्य पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु करोड़ में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2015-16	राज्य कौशल विकास योजना	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2016-17	राज्य कौशल विकास योजना	शुन्य	6.00	6.00	0.00	0.00
2017-18	राज्य कौशल विकास योजना	शुन्य	10.10	10.10	0.00	0.00

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी

c). अपर- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी

d). वरिष्ठ वित्त अधिकारी, निदेशालय हल्द्वानी

e). सहायक वित्त अधिकारी, निदेशालय, हल्द्वानी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 07.2013 से 04.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02.2016 एवं 03.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग - दो (ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>:- 1 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुये धनराशि ₹ 2,21,211/- की सामग्रियों का क्रय टुकड़े में किए जाने का प्रकरण।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/xxxvii (7)/2008 देहरादून दिनांक 1 मई, 2008 अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत बिंदु संख्या 3(1) में स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्र को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

लेखा परीक्षा के दौरान प्रॉक्यूरमेंट फाइल की जांच में पाया गया की इकाई द्वारा मद संख्या 11 "लेखन सामाग्री और फार्मो की छपाई" के अंतर्गत समय-समय पर निम्नलिखित बिलों का भुगतान किया गया है जोकि वित्तीय नियमों के अनुकूल नहीं है विवरण निम्न हैः-

फर्म	बिल सं0	दिनांक	धनराशि
SALAM SALES	2752	07/09/2016	19005
SALAM SALES	2756	12/09/2016	998
SALAM SALES	2775	27/09/2016	47860
SALAM SALES	2804	21/10/2016	4095
SALAM SALES	2805	21/10/2016	4193
SALAM SALES	2810	27/10/2016	5670
SALAM SALES	2937	27/01/2017	3938
SALAM SALES	2942	06/02/2017	29819
SALAM SALES	2943	08/02/2017	18873
Sahkari Mudran Audyogic Samiti Ltd.	0203	30/09/2016	11860
		योग	**146311**

इसी प्रकार न्यू ए0 सी0 क्रय हेतु पत्रावली के अंतर्गत समय-समय पर निम्नलिखित बिलों का भुगतान किया गया है जोकि वित्तीय नियमों के अनुकूल नहीं है विवरण निम्न हैः-

फर्म	बिल सं0	दिनांक	धनराशि
मै0 Heerapangaty	626	09/08/2016	35000
मै0 Heerapangaty	627	09/08/2016	2200
मै0 Heerapangaty	728	22/09/2016	2700
मै0 Heerapangaty	728	22/09/2016	35000
		योग	**74900**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि अलग-अलग अवधि पर आवश्यकतानुसार खरीद की गयी है तथा प्रथम ए0सी0 के क्रय करने के बाद ही दूसरी ए0सी0 की आवश्यकता हुई।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योंकि अधिप्राप्ति के नियमानुसार छोटे छोटे भागो में सामग्री को क्रय न कर यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - दो (ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>:- 2 विगत 03 वर्षो से योजना के अप्रयुक्त धनराशि ₹ 153.74 लाख पीएलए मे अवरूद रखा जाना।

कार्यालय सेवायोजना व प्रशिक्षण निदेशालय हल्द्वानी के अधीन पीएलए अभिलेखो की जांच की गयी जिसमे special Plan Assistance की सिविल कार्य तथा साज सज्जा क्रय की धनराशि, special component Plan के तहत टूल्स की धनराशि तथा विभागीय योजनाओ की टूल्स क्रय से संबन्धित राशि का वर्ष 2013-14 से रखरखाव किया जाना पाया गया। जांच मे यह बातें प्रकाश मे आयी कि चूँकि एसपीए के तहत सिविल कार्य निर्माणाधीन होने के कारण उनके साज सज्जा की भी राशि पड़ी हुई है। आगे जांच मे पाया गया कि विभागीय योजनाओ तथा स्पेशल कॉम्पोनेंट की धनराशि जिसका सिविल कार्य से जुड़ाव नही था, की भी धनराशि वर्ष 2013-14 से ₹ 61.21 लाख तथा 2014-15 से ₹ 92.53 लाख लेखापरीक्षा तिथि तक अप्रयुक्त पड़ी हुई है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि योजना के अंतर्गत आच्छादित समस्त संगठनों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण नही होने के कारण कतिपय साज सज्जा क्रय किए जाने का कोई औचित्य नही था।

उत्तर संतोषजनक नही था क्योकि वह अवशेष धनराशि जिसका संबंध विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो के टूल्स हेतु था। 3 वर्षो से व्यय करने की अवशयकता नही समझी गयी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - दो (ब)

प्रस्तर:- 3 शासकीय धनराशि ₹ 213.33 लाख विगत 03 वर्षो से निर्माण निगम के पास अवरूद्ध पाये जाने का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय सेवायोजन व प्रशिक्षण निदेशालय हल्द्वानी के अधीन उत्तराखंड में राजकीय ओदधोगिक प्रशिक्षण संस्थानो के निर्माणाधीन भवनों से संबन्धित पत्रावली की जांच की गयी । नमूना जांच के रूप में दो भवनों की अद्यतन रिपोर्ट चयनित कर प्रगति की सत्यता की जांच की गयी। कार्यों का विवरण निम्नवत पाया गया:-

संस्थान का नाम	स्वीकृति वर्ष	लागत	कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि	भौतिक प्रगति
बसुकेदार	2013-14	84.33	84.33	0%
चिरबटिया	2013-14	129.00	129.00	0%
		योग	213.33	

अभिलेखो की जांच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में उक्त दोनों संस्थानों के भवन निर्माण के लिए समस्त स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को एक मुश्त जारी कर दी गयी परंतु लेखापरीक्षा तिथि तक दोनों भवनों की भौतिक प्रगति शून्य पायी गयी। कारण की जांच में बातें प्रकाश में आई कि जहां भवन का निर्माण किया जाना था वहाँ एक प्रकरण में स्थल का मार्ग सुनिश्चित नहीं था तथा दूसरे प्रकरण में भूमि अनुपयुक्त थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि राज्य सरकार से केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए जाते समय संस्थान हेतु चयनित व चिन्हित भूमि विभाग को हस्तांतरित किए जाने की कार्यवाही अंतिम चरण पर थी। धनराशि निर्माण कार्य हेतु दी गयी थी तथा आपदा के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बार दी जाने वाली धनराशि का राज्य हित मे उपयोग किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया। विभाग का उदेश्य अप्रयुक्त धनराशि को वापस लेना नही वरन उसी धनराशि मे अप्रयुक्त भवन का निर्माण कार्य करना था।

उत्तर तर्कसंगत नही पाया गया, केंद्र सरकार द्वारा एक बार दी जाने वाली धनराशि का राज्य हित मे उपयोग किए जाने हेतु साइट क्लियरेंस सुनिश्चिता किए बिना भारत सरकार से धनराशि प्राप्त कर निर्माण निगम को हस्तगत कर दी गयी, परिणामस्वरूप विवेकपूर्ण निर्णय नही लिए जाने के कारण शासकीय धन का उदेश्य प्रभावित हुआ तथा धन अक्रियाशील पड़ा होना पाया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:- 4 धनराशि ₹ 9,19,136 का वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक भुगतान किया जाना।

छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद संशोधित वेतन ढ़ाचे में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति की स्थिति मे वेतन निर्धारण निम्न अनुसार किया जाएगा:

वेतन बैंड में वेतन अनुमन्य ग्रेड पे जोड़कर इसके 3 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणांक में पूर्णांकित किया जाएगा। इस धनराशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद वेतन में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड पे में वेतन प्रदान किया जाएगा।

जांच में पाया गया कि कार्यालय आदेश सं. 8335-43/डी टी ई यू / स्था. लि./51/021/2013 दिनांक 26/12/2013 के क्रम में 9 कार्मिको कि पदोन्नति कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2800 पर हुई। आगे पाया गया कि पदोन्नत कर्मचारियो को अनुमन्य ग्रेड पे एवं मूल वेतन में 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि करने पर प्राप्त मूल वेतन को 10 के अगले गुणांक में पूर्णांकित करने एवं अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड पे प्रदान करके आगणित किया परंतु आगणित वेतन 2800 ग्रेड पे के न्यूनतम वेतन (8560+2800=11360) से कम होने के कारण पदोन्नत हुए कर्मचारियो का वेतन 11360 पर fix कर दिया जो कि छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों का उलंघन है।

इस प्रकार पदोन्नत 09 कर्मचारियों में से 08 कर्मचारियों को लेखा परीक्षा तिथि तक कुल रु. 9,19,136 वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक प्रदान किया गया ।

इस प्रकरण की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि उक्त प्रकरण पर कार्यवाही (वसूली की) गतिमान है अत: प्रकरण संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नक: कर्मचारियों को दिये गए अतिरिक्त वेतन की गणना शीट

भाग - दो (ब)

प्रस्तर:- 5 धनराशि ₹ 80.65 लाख का अपूर्ण निर्माण कार्य एवं संबन्धित धनराशि कार्यदायी संस्था के पास विगत चार वर्षो से अवरुद्ध पाया जाना।

कार्यालय निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अधीन उत्तराखण्ड मे संचालित निर्माण कार्यो पत्रावली की जांच की गयी। शासनादेश 544/XVIII-(2)/F/14-12(10)/2014, दिनाक 31.03.2014 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न स्थानो पर स्थापित राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानो हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 मे एसपीए(आर) के तहत चयनित 32 राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानो के सिविल/ निर्माण कार्यो हेतु कुल धनराशि ₹1517.50 लाख स्वीकृत किए गए। उक्त संस्थानो मे से रा॰ औ॰ प्र॰ संस्थान, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ को भवन निर्माण हेतु धनराशि ₹ 80.65 लाख प्रदान की गयी। निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम का चयन किया गया। कार्यदायी संस्था को वर्तमान तक समस्त धनराशि रु 80.65 लाख एक मुस्त किश्त के रूप मे प्रदान किया गया। संबन्धित निर्माण कार्य की मासिक भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट मार्च 2018 की जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त धनराशि ₹ 80.65 लाख के सापेक्ष ₹ 1.05 लाख का व्यय किया गया था तथा निर्माण कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण नही किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि उक्त शासनादेश के अनुसार संस्थानो का चयन भूमि कि उपलब्धता के कारण किया गया था जिसमे गंगोलीहाट-पिथौरागढ़ संस्थान भी शामिल था एवं दूसरी किश्त उस दशा मे अवमुक्त कि जाए जब उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जाए जबकि पत्रांक 151(1)XLI-1/14-44(प्रशि./2016) दिनाक 31 जुलाई 2014 से स्पष्ट है कि भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता संबन्धित कोई प्रस्ताव शासन को प्रेषित नही किया गया था अर्थात राजकीय औद्योधिक प्रशिक्षण संस्थान गंगोलीहाट के पास निर्माण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध नही थी। आगे जांच मे पाया गया कि शासनादेश का उल्लंघन करते हुये न केवल धनराशि ₹ 80.65 लाख को एक मुश्त रूप मे कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किए गए बल्कि भूमि सुनिश्चता किए बिना विगत कई वर्षो से धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्द पड़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि "व्यवसायो के प्रारम्भ करने के उदेश्य से अथवा डीजीटी भारत सरकार द्वारा मानको मे परिवर्तन से चिन्हित भूमि पर भवन निर्माण प्रारम्भ नही किया जा सका एवं प्रयासो के पश्चात भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के दृष्टिगत उक्त संस्थान की अप्रयुक्त धनराशि व योजनाअंतर्गत उपलब्ध अन्य धनराशि से गरुड संस्थान के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव शासन के माध्यम से सरकार को प्रेषित किया जा चुका है"।

उत्तर मान्य नही क्योकि इकाई के उत्तर से यह स्पष्ट है कि धनराशि ₹ 80.65 लाख वर्तमान मे कार्यदायी संस्था के पास विगत चार वर्षो से अवरूद पड़ी है तथा संस्थान का चयन करते समय शासनादेश का उल्लंघन किया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:- 1 धनराशि ₹ 4.63 लाख की पुस्तकीय मूल्य की सामाग्री का नीलाम न किया जाने का प्रकरण पाया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिये ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी के वर्ष 2007 से 2010 के मध्य धनराशि ₹ 4.63 लाख की पुस्तकीय मूल्य की विभिन्न सामग्री जैसे- ऑफिस चेयर, कूलर आदि विगत कई वर्षो से अक्रियाशील पड़ी हुई थी जिसे मार्च 2018 मे निष्प्रयोज्य घोषित किया गया जिनकी नीलामी किया जाना वर्तमान तक लम्बित था। विभाग द्वारा नीलामी न किये जाने के कारण उक्त समग्रियों का निरन्तर मूल्य ह्रास हो रहा था, जिसके कारण उक्त समग्रियों के नीलामी से प्राप्त होने वाली विभागीय प्राप्तियों की हानि हो रही थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि "नीलामी की कार्यवाही भविष्य हेतु की जाएगी"।

उत्तर मान्य नही क्योकि विभाग द्वारा नीलामी नही किए जाने के कारण विभागीय प्राप्तियों की हानि दिन प्रतिदिन हो रही है अर्थात शासकीय हानि हो रही है।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर</u>:- 2 वित्त अधिकारी तथा आहरण व वितरण अधिकारी का संयुक्त कार्य करने के कारण व्यय की निष्पक्षता नी पाया जाना।

According to Uttrakhand budget manual 2012 "**Controlling Officer"** means the authority made responsible for the control of expenditure and receipt for any head of account and "**Controller Finance' -** means officer of the Finance and Accounts Service posted under controlling officer or in absence of Finance & Accounts Service officer, any other officer entrusted to supervise the work of Budget & Account; to release the budget, maintain the register of budget allotment, advise the controlling officer / Head of Department in financial matters, pre-audit of time-barred claims, internal audit, etc. "**Drawing and disbursing Officer"** Every Government servant who draws money for disbursement on bills from the treasury is a disbursing officer. the DDOs permitted to draw funds directly from the local branches of the Bank by means of cheque under the departmentalised system of payment are scattered at various places in the Rules of GFRs, FRs, SRs, Government Account {Receipts and Payments} Rules, 1983,

कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि पत्रांक 19213/डीटीश /2017, दिनाक 30.08.2017 द्वारा कार्यालय मे एक ही अधिकारी द्वारा दो भिन्न- भिन्न पदो, वित्त अधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी के कर्तव्यो का निर्वाहन किया जा रहा था जबकि नियमानुसार वित्त पर नियंत्रण के लिए पृथक अधिकारी की चर्चा की गयी है। कार्यालय हेतु उक्त दोनों पद अलग-अलग महत्वपूर्ण कार्यशेत्र से संबन्धित थे जिसके लिए पृथक-पृथक अधिकारी तैनात किए जाने थे जिससे कार्यालय के लेनदेन तथा देयकों के भुगतान प्राप्ति आदि मे पारदर्शिता सुनिश्चित कि जा सके।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -5 भाग -1 के पैरा 47 जी के फूट नोट के अनुसार कार्यालयध्यक्ष द्वारा किसी राजपत्रित अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकार प्रतिधानित किए जाने का प्रावधान है। तदनुसार विभागद्यक्ष द्वारा आ॰वि॰अ॰ व वित्त अधिकारी प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हलदवानी को नामित किया गया है तथा वित्तीय नियमो के अनुसार ही आहरण एवं सवितरण संबंधी कार्यो का निष्पादन किया जाता है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रेषित बिलो को कोषागार द्वारा वित्तीय नियमो के अंतर्गत जांच कर भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

उत्तर मान्य नही है क्योकि नियमानुसार वित्त अधिकारी द्वारा खर्चो पर नियंत्रण रखना आदि दायित्वों का निर्वाहान किया जाता है जबकि आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यालय हेतु संबंधित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि को अहरित किए जाने के दायित्वों का निर्वाहन करता है। अतः एक ही अधिकारी द्वारा उक्त दायित्वों के निर्वाहन किए जाने के फलस्वरूप लेनदेन तथा देयकों के भुगतान प्राप्ति आदि पर पारदर्शिता सुनिश्चित नही कि जा सकती।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
पृथम लेखापरीक्षा				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
पृथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री पंकज कुमार पाण्डेय	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी	07.2013 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.